न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 69/2019

1. लक्ष्मण सिंह
2. दशरथ सिंह
3. महावीर सिंह
4. सुरजनसिंह उर्फ सुरज्ञान सिंह
   पिसरान ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी चैनपुरा तहसील व जिला दौसा।

... अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सैंथल दिनांक 13.02.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मणसिंह वगै0 मु0नं0 09/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री रघुवीर सिंह राजावत, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 18.02.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 13.02.2019 को ग्राम चैनपुरा तहसील दौसा के सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर संवत 2075 में आराजी खसरा नम्बर 430 मे से रकबा 0.02 है0 पर पुख्ता मकान बनाकर, रकबा 0.02 है0 रजका, रकबा 0.06 है0 पर जौ बुआई करने पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। अपीलांट्स को जबाव एवं सबूत पेश करने का मौका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत भी नही है। अपीलांट्स को पटवारी से जिरह करने का अवसर भी नही दिया गया। अपीलांट लक्ष्मणसिंह, महावीरसिंह व सुरजन सिंह की विधिवत तामील नहीं हुई है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट दशरथसिंह अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ। अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई

का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट्स को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट दशरथसिंह अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट्स का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट्स को सुनवाई एवं सबूत का अवसर नही दिया गया। पटवारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर संवत 2075 में आराजी खसरा नम्बर 430 मे से रकबा 0.02 है0 पर पुख्ता मकान बनाकर, रकबा 0.02 है0 रजका, रकबा 0.06 है0 पर जौ बुआई कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर भी अंकित है जो पत्रावली मे संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। परन्तु अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर खसरा नंबर 430 रकबा 0.10 है0 सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं कब्जा नहीं होने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन उपतहसीलदार सैंथल से करवाया गया। उपतहसीलदार सैंथल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमियों द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था वह गलत है। वर्तमान मे आज दिनांक तक मौके पर अतिक्रमण कायम है। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मौके से नहीं हटाया गया है। मौके पर अतिक्रमण किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2019 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत झूठा शपथ पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह करने की एवज में पृथक से अपीलाट्स के विरूद्ध नियमोचित कार्यवाही की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे एवं तहसीलदार दौसा को निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official